(क) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो कि किसी डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत:, किसी काम्पलैक्स, बिल्डिंग या निर्माण संरचना के लिए निर्माण सेवा के रूप में विकास के अधिकार को देते हैं; और

(ख) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति जो किसी विकास के अधिकार को देने वाले को किसी प्रतिफल के एवज में, पूर्णत: या अंशत: विकास के अधिकार के अंतरण के रूप में किसी काम्पलैक्स, भवन या निर्माण संरचना के निर्माण की सेवा की आपूर्ति करते हैं,

को ऐसे पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित करती है जिनके मामले में उपर्युक्त उपवाक्य (क) में संदर्भित निर्माण सेवा के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर और उपर्युक्त उपवाक्य (ख) में संदर्भित विकास के अधिकार के रूप में प्राप्त प्रतिफल पर, उक्त सेवा की आपूर्ति पर संघ राज्यक्षेत्र कर के भुगतान का दायित्व उस समय पैदा होगा जब उक्त डेवलपर, बिल्डर, निर्माण कंपनी या अन्य कोई पंजीकृत व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे निर्मित काम्पलैक्स, भवन या सिविल निर्माण कार्य के कब्जे या अधिकार का अंतरण उस व्यक्ति को करता है जिसने की किसी अंतरण विलेख या इसी प्रकार के अन्य किसी विलेख (जैसे कि आबंटन पत्र) में हस्ताक्षर करके अंतरित करता है।

[फा. सं. 354/13/2018- टीआरयू]

रूचि बिष्ट, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2018

No. 4/2018-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R.78(E).—In exercise of the powers conferred by section 21 of Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) read with section 148 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby notifies the following classes of registered persons, namely:-

(a) registered persons who supply development rights to a developer, builder, construction company or any other registered person against consideration, wholly or partly, in the form of construction service of complex, building or civil structure; and

(b) registered persons who supply construction service of complex, building or civil structure to supplier of development rights against consideration, wholly or partly, in the form of transfer of development rights,

as the registered persons in whose case the liability to pay Union territory tax on supply of the said services, on the consideration received in the form of construction service referred to in clause (a) above and in the form of development rights referred to in clause (b) above, shall arise at the time when the said developer, builder, construction company or any other registered person, as the case may be, transfers possession or the right in the constructed complex, building or civil structure, to the person supplying the development rights by entering into a conveyance deed or similar instrument (for example allotment letter).

[F. No.354/13/2018 -TRU]

RUCHI BISHT, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2018

संख्या 5/2018- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

सा.का.नि. 79(अ).—संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, कच्चे पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस या दोनों के अन्वेषण या खनन के लिए लाइसैंस या पट्टा देकर